न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/258

1. भैरूलाल पुत्र हरदेव, उम्र 75 वर्ष, जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)

– अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. नायब तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

– रेस्पोडेन्टस

3. ईश्वरनारायण पुत्र झूंथालाल
4. ओमश्वि भगवान पुत्र झूंथालाल
5. विनोद पुत्री झूंथालाल
6. मीना देवी पुत्री झूंथालाल
7. सुशीला पुत्री झूथालाल
8. कानाराम पुत्र जगन्नाथ
9. गुलाबचन्द पुत्र जगन्नाथ
10. सागरमल पुत्र जगन्नाथ
11. नीतू पुत्री जगन्नाथ
12. द्वारकाप्रसाद पुत्र कालूराम
13. नन्दकिशोर पुत्र कालूराम
14. सुरेश पुत्र कालूराम
15. ओमदेवी पुत्री कालूराम
16. मन्जूदेवी पुत्री कालूराम
17. शान्ती पुत्री हरदेव
18. लक्ष्मीदेवी पत्नी स्व0 सतीश कुमार
19. घनश्याम पुत्र स्व0 सतीश कुमार
20. सरोज देवी पुत्री स्व0 सतीश कुमार

क्रम संख्या 3 लगायत 20 जाति बलाई, निवासीयान ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं जिला जयपुर (राज0)

–तरतीबी रेस्पोडेन्टस

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ, जयपुर दिनांक 27.04.2022 उनवानी भैरूलाल बनाम तहसीलदार चौमूं व अन्य अपील संख्या 17/2022 में पारित किया गया है व आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार चौमूं के प्रकरण संख्या 15/2021 (धारा 91) उनवानी सरकार बनाम भैरूलाल निर्णय दिनांक 06.12.2021 पर पारित किया गया है।

उपस्थित–

1. श्री नरोत्तम कुमार, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 व 2 की ओर से।
3. श्री गजेन्द्र कुमार, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 से 7, 9 से 11, 17 से 10 की ओर से।
4. श्री सिद्धान्त सिंह, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 8, 12 से 16 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –29.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर के निर्णय दिनांक 27.04.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार चौमूं जिला जयपुर ने दिनांक 06.12.2021 को ग्राम ईटावा भोपजी स्थित आराजी ख0नं0 3041/3782 कुल रकबा 0.22 है0 भूमि के संबंध में नायब तहसीलदार चौमूं द्वारा प्रकरण संख्या 15/2021 में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर से अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं पेनल्टी कायम किये जाने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (चतुर्थ) जयपुर के समक्ष पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2022 द्वारा अपील अस्वीकार किये के आदेश पारित किये गये।

3. नायब तहसीलदार चौमूं जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश नायब तहसीलदार चौमूं जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 3040 रकबा 0.76 हैक्टर किस्म बारानी–2 ग्राम ईटावा भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, भू.अभि.नि. उदयपुरिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है। जिसके साबिक खसरा नम्बर 313/1/5 व 1004/1/5 कुल रकबा 0.76 हैक्टयर रहे है जिसमें अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा व शेष हिस्सा अन्य खातेदार काश्तकार तरतीबी रेस्पोडेन्ट परिवारजनों का निहित है। शामलाती रूप से सभी खातेदारा काश्तकार उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि में कुआं बना कर विद्युत कनेक्शन लगा रखा है। भूमि के चारों ओर तारबंदी कर रखी है। उक्त भूमि अपीलान्ट व अन्य परिवारजन सहखातेदार काश्तकार अपने बुर्जुगों के समय से तकरीबन सौ साल से भी अधिक समय से काबिज का त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। खसरा नम्बर 3040 के रिकार्डेड खातेदार अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट मौके पर खसरा नम्बर 3041 व 3041/3782 पर काबिज है, क्योंकि साबिक नम्बरों से तरमीम नक्शे में काटी गयी वो मौके के अनुसार नहीं काटी गयी, इसलिए आस–पडौस के सभी खातेदार काश्तकार जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बर अनुसार मौके पर नक्शे के अनुसार काबिज नहीं है अर्थात एक–दूसरे के खसरा नम्बर पर काफी अर्से से अलाटमेन्ट के समय से ही काबिज है। इस नक्शे व रिकार्ड दुरूस्ती के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक चौमूं मे मुकदमा नम्बर 109/2019 विचाराधीन है। रेस्पोडेन्ट के अधीनस्थ पटवारी हल्का ईटावा भोपजी ने दिनांक 18.11.2021 को खसरा नम्बर 3041/3782 रकबा 0.22 हैक्टेयर बारानी–2 सिवायचक के संबंध में रेस्पोडेन्ट नं0 1 को प्रेषित की, जिस पर नायब तहसीलदार चौमूं ने प्रकरण संख्या 15/2021 दर्ज करते हुये अपीलान्ट को दिनांक 06.12.2021 के लिये नोटिस जारी कर दिनांक 06.12.2021 को ही उक्त प्रकरण बिना सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण फैसल फरमाते हुये अपीलान्ट को बेदखली के आदेश पारित कर पेनल्टी स्वरूप वार्षिक लगान का 0.33/–रूपये के 50 गुणा 17/–रूपये कायम कर बेदखली के आदेश पारित कर दिये। ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं जिला जयपुर में आराजी खसरा नम्बर 3041 रकबा 0.78 हैक्टेयर के खातेदार काश्तकार गुलाबचन्द, चौथमल, लक्ष्मण, सुवा, हीरालाल पुत्रान भूरा नायक व प्रभात पुत्र मंगला नायक की भूमि से बना है, परन्तु जमाबन्दी रिकार्ड में भूमि का रकबा कम नहीं किया है, जो पुराने नक्शे व रिकार्ड से प्रमाणित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सम्वत 2043 के नक्शे ट्रेस में खसरा नक्बर 3041 का रकबा 0.78 हैक्टेयर की भूमि व खसरा नम्बर 3040 रकबा 0.76 हैक्टेयर की भूमियां लम्बी पट्टी के रूप में है, जबकि हाल नक्शा सम्वत 2078 में खसरा नम्बर 3041 के 2 टुकडे कर दिये गये,

जो खसरा नम्बर 3041 व 3041/3782 है, परन्तु खसरा नम्बर 3041 के रकबे में रिकार्ड जमाबन्दी में कोई कमी नहीं की है, जबकि खसरा नम्बर 3041/3782 रकबा 0.11 हैक्टेयर भूमि खसरा नम्बर 3041 का ही भाग है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि खसरा नम्बर 3040, 3041, 3044/3341 व 3043 ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं जिला जयपुर के सम्बन्ध में एक नियमित वाद बाबत धोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं के समक्ष मुकदमा नं. 109/2019 उनवानी सतीश कुमार बनाम ईश्वर व अन्य के नाम से विचाराधीन है, जिसमें तहसीलदार चौमूं भी आवश्यक पक्षकार है। जिसमें न्यायालय ने तहसीलदार चौमूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट भी तलब की हुई है। तहसीलदार चौमूं को प्रारम्भ से ही प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी भली भांति से रही है। उन्हें इस बात की भी जानकारी थी कि उपरोक्त खसरा नम्बरान की तरमीम इन्द्राज गलत है, उपरोक्त खसरा नम्बरान के खातेदार जमाबन्दी में दर्ज खसरा नम्बर के अनुसार मौके पर काबिज नहीं है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17.2.2020 व 5.6.2018 से भी तहसीलदार चौमूं को भली भांती प्रकरण की जानकारी रही है। इसके बावजूद भी अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया। दोनों न्यायालयों ने जो आदेश पारित किया है वह कतई गैर वाजिब है। निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चौमूं जिला जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर का निर्णय दिनांक 27.04.2022 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। दिनांक 06.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चौमूं में नोटिस बाद तामिल पेश हुए थे। नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुआ। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.11.2021 को ग्राम ईटावा भोपजी स्थित ख0नं0 3041/3782 रकबा 0.22 है0 भूमि पर तार बाउण्ड्री कर कब्जा करने की रिपोर्ट पेश की गई है। सम्वत 2078 की जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमि रिकार्ड अनुसार सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है। अपीलान्ट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई व सबूत एवं जिरह का अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा जो निर्णय दिनांक 27.04.2022 पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.11.2021 को ग्राम ईटावा भोपजी स्थित ख0नं0 3041/3782 रकबा 0.22 है0 भूमि पर तार बाउण्ड्री कर कब्जा करने की रिपोर्ट पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/साक्ष्यों के अनुसार यह स्पष्ट है कि सम्वत 2043 के नक्शे में ख0नं0 3040 व 3041 लम्बी पट्टी के रूप में है। जबकि वर्तमान के ख0 नं0 3040 यथावत रूप से लम्बी पट्टी के रूप में है। ख0नं0 3041 से नया ख0नं0 3041/3782 नवसृजित हुआ है। गत ख0नं0 313/1/4, 313/3/5, 1004/1/4 रकबा 3 बीघा से नये ख0नं0 3041/3782 के रकबे 0.22 है0 को राजस्व रिकार्ड के अनुसार सिवाय चक दर्ज होने पर अतिक्रमण की रिपोर्ट की गई है, जो सही है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि सिवायचक दर्ज है और

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

सिवायचक भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण साबित है। अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। दिनांक 06.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार चौमूं में नोटिस बाद तामिल पेश हुए थे। नोटिस तामिल होने के बावजूद भी अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में खसरा नं. 3041/3782 कुल रकबा 0.22 है0 भूमि पर अतिक्रमी द्वारा तारबंदी की जाकर अतिक्रमण करना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सिवायचक भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किये गये हैं, विधिसम्मत पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.04.2022 पारित किया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश हैं किः– अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर दिनांक 27.04.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर